PROSPECTUS

2026-27

SESSION

UTTAR PRADESH STATE MEDICAL FACULTY

Combined Allied & Healthcare Selection Process - 2026-27

www.upsmfac.org

CONTACT INFO

5, Sarvpalli Mall Avenue Road,
Lucknow - 226001 (U.P.) India

TECHNICAL SUPPORT NO.

+91-9819704782

9:00 AM to 6:00 PM
(Working Days)

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख डिप्लोमा एवं डिप्लोमा इन फार्मेसी प्रशिक्षणों के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रो में प्रवेश हेतु

संयुक्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख प्रवेश प्रक्रिया (CAHSP) 2026–27

अनुक्रमणिका

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	महत्वपूर्ण सूचना	2
अध्याय–2	अर्हताएं	3
अध्याय–3	आरक्षण	4 - 5
अध्याय–4	पंजीकरण प्रक्रिया	6 - 8
अध्याय–5	मेरिट लिस्ट प्रक्रिया	9 - 10
अध्याय–6	काउंसलिंग प्रक्रिया	11 - 15
अध्याय–7	प्रवेश प्रक्रिया	16
अध्याय–8	सहायता केन्द्र	17
	अनुलग्नक	
I	प्रशिक्षणवार उपलब्ध सीटों की संख्या	18
II	प्रशिक्षण केन्द्रों व उपलब्ध सीटों सम्बंधी सूचना	19 - 21
III	दिव्यांगता प्रमाण पत्र का प्रारूप	22
IV	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (FF) एवं भूतपूर्व सैनिक (Ex-Army) के प्रमाण पत्रों का प्रारूप	23
V	सामान्य निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप	24
VI	त्याग पत्र हेतु शपथ पत्र का प्रारूप	25

अध्याय–1

महत्वपूर्ण सूचना

1. अभ्यर्थी सूचना विवरणिका (Prospectus) का भली भांति अध्ययन करें।
2. अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व संबधित पाठ्यक्रम हेतु अर्हता स्वयं जॉच लें।
3. संयुक्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख प्रवेश प्रक्रिया 2026–27 हेतु अभ्यर्थी केवल ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। सम्पूर्ण प्रक्रिया आन–लाइन होगी।
4. ऑनलाईन आवेदन करने सम्बन्धी निर्देश, सूचना विवरणिका एवं लिंक https://upsmfac.org वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगें।
5. प्रवेश सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथियों एवं ऑनलाईन काउंसिलिंग की जानकारी हेतु समय–समय पर https://upsmfac.org वेबसाइट को देखते रहें। अपरिहार्य कारणोवश निर्धारित तिथियों मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन सम्बन्धी एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाईट पर दी जायेगी।
6. अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु **स्वयं** का **मोबाइल नम्बर** एवं **ई–मेल आईडी** का ही उपयोग करें। गलत मोबाइल नम्बर अथवा गलत ईमेल–आईडी के होने के कारण यदि अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो इसके लिये उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जिम्मेदारी नहीं होगी।
7. आवेदन, काउंसिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाईन ही लिया जायेगा।
8. निर्धारित तिथि में ही ऑनलाईन आवेदन करें, निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन फार्म भरे जाने का कोई प्राविधान नहीं है।
9. अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
10. आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण करता है अन्यथा एक बार जमा की गयी फीस किसी भी दशा में वापस नहीं होगी तथा निर्धारित अर्हता के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
11. यह प्रशिक्षण केवल एक तकनीकी शैक्षिक (Technical Education) योग्यता मात्र है। प्रशिक्षण पूर्ण कालिक है जिसकी परीक्षक संस्था उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। यह प्रशिक्षण किसी भी सेवायोजन की गारन्टी नहीं है।

आवेदन, काउंसिलिंग एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क (Application, Counselling and Registration Fee)	आवेदन एवं काउंसिलिंग पंजीकरण शुल्क जमा करने के पश्चात् किसी भी स्थिति में वापस नही किया जायेगा।
वर्ग	**शुल्क** (Non-Refundable)
UR/OBC ऑनलाईन आवेदन शुल्क (प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग शुल्क के साथ)	Rs. 2000.00
SC/ST/PwD ऑनलाईन आवेदन शुल्क (प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग शुल्क के साथ)	Rs. 1500.00
ऑनलाईन काउंसिलिंग शुल्क (अग्रेतर काउंसिलिंग हेतु)	Rs. 500.00

नोटः–

- यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन–पत्र में गलत सूचना देता है तो उसका आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और यदि कोई अभ्यर्थी गलत सूचना के आधार पर प्रवेश पा जाता है तो पता लगने पर उसका प्रवेश/प्रशिक्षण निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

अध्याय–2

अर्हताएं

- उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज की इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केन्द्र अथवा उ0प्र0 शासन से मान्यता प्राप्त हो में उत्तीर्ण होने के साथ–साथ निम्नलिखित पाठ्यक्रमवार अर्हता होना अनिवार्य है :–

S.No.	Diploma Course	Admission Eligibilty Criteria
1	Diploma of Anaesthesia and Operation Theatre Technology (D.AOTT)	Candidate must have passed Senior Secondary (10+2) or equivalent with Physics, Chemistry & Biology/ Mathematics subjects.
2	Diploma of Radiotherapy Technology (D.RT)	Candidate must have passed Senior Secondary (10+2) or equivalent with Physics, Chemistry & Biology subjects.
3	Diploma of Dialysis Technology (D.DT)	Candidate must have passed Senior Secondary (10+2) or equivalent with Physics, Chemistry & Biology subjects.
4	Diploma of Health Information Management (D.HIM)	Candidate must have passed Senior Secondary (10+2) or equivalent with Science or Commerce or Arts and English as mandatory subject.
5	Diploma in Medical Laboratory Technology (D.MLT)	Candidate must have passed Senior Secondary (10+2) or equivalent with Physics, Chemistry & Biology subjects.
6	Diploma in Pharmacy (D.PHARMA)	Candidate must have passed Senior Secondary (10+2) or equivalent with Physics, Chemistry & Biology/ Mathematics subjects.

समकक्षता न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश/चयन होने के पश्चात् भी प्रशिक्षण से निरस्त किया जा सकता है। सम्बन्धित बोर्ड के अंक–प्रत्र/प्रमाण–पत्र में दर्शित The Pass Mark for Each Subject is----%, FT (Fail in Theory)], RT (Repeat in Theory), Grade E (Essential Repeat) एवं SYC/SYCT इत्यादि अंकित Abbreviations होने पर अभ्यर्थी अर्ह नही होगें।

- प्रवेश हेतु कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नही लिया जायेगा।
- प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस निमित्त, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट में से एक अथवा दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत डोमिसाईल/सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- ऑनलाईन आवेदन में अध्याय–2 में वर्णित अर्हताओं, 10वीं के कुल प्राप्तांको/पूर्णाकों एवं 12वीं के विषयवार प्राप्तांको/पूर्णाकों को भरने की पूर्णतया जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है। इसमें किसी भी त्रुटि के लिए उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अभ्यर्थी के चयन के उपरान्त शैक्षिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों का सत्यापन प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा ही किया जायेगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये गये प्रपत्रों तथा दर्ज की गयी सूचना के ऑनलाईन सत्यापन में कोई भिन्नता पायी जाती है तो ऐसी दशा में आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।
- दिनांक 31 दिसम्बर, 2026 तक अभ्यर्थी का न्यूनतम आयु 17 वर्ष (17 वर्ष अथवा उससे अधिक) होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी की जन्मतिथि 31 दिसम्बर, 2009 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।
- अभ्यर्थी निर्धारित शैक्षिक अर्हता एवं आयु सीमा सुनिश्चित होने पर ही आवेदन करें।

अध्याय–3

आरक्षण (Reservation)

1. आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के नियम मान्य होंगे।
2. आवेदन पत्र भरते समय सुनिश्चित कर लें कि आप किस श्रेणी में आरक्षण चाहते हैं एवं अपनी पात्रता श्रेणी में ही आरक्षण हेतु आवेदन करें। कृपया ध्यान दें, आरक्षण श्रेणी में किसी भी तरह का परिवर्तन बाद में सम्भव नही है।
3. आवेदन के समय श्रेणी/उपश्रेणी का उल्लेख करने मात्र से ही आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। नियमानुसार वांछित आरक्षण का लाभ लेने हेतु आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य होगें। केन्द्रीय सेवाओं हेतु जारी आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण पत्र मान्य नही होंगे।
4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों को ही देय होगा।
5. **पाठ्यक्रम की कुल सीटों पर निम्नवत् आरक्षण प्रदान किया जायेगा।**

क्र.सं.	उर्ध्वाधर आरक्षण (श्रेणी) वर्टिकल आरक्षण			क्र.सं.	क्षैतिज आरक्षण (उपश्रेणी) प्रत्येक श्रेणी में निम्नलिखित उप श्रेणी को निम्नवत हॉरिजोन्टल आरक्षण देय होगा	
1	अनुसूचित जाति (SC)	21%		1	दिव्यांगजन (PwD)	5%
2	अनुसूचित जनजाति (ST)	2%		2	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित (FF)	2%
3	अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	27%		3	भूतपूर्व सैनिक (Ex-Army)	1%
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	10%				

6. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
7. दिव्यांगता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण–पत्र अनुमन्य होगा तथा आवंटित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण हेतु चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त (Medically Fit) है अथवा नही।
8. शासनादेश संख्या–22 सीएम/28–3–2013 दिनांक–10.06.2013 द्वारा विमुक्त जाति के आरक्षण के सम्बन्ध में शासनादेश के बिन्दु संख्या–03 एवं 04 में निम्न व्यवस्था की गयी है –
   - जहाँ तक विमुक्त जातियों को आरक्षण की सुविधा की अनुमन्यता का प्रश्न है कि विमुक्त जाति के अन्तर्गत आने वाली, जो जातियों अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत है, उन्हें तद्नुरूप उक्त वर्गों हेतु अनुमन्य आरक्षण की सुविधा प्रदत्त होगी।
   - यह स्पष्ट किया जाता है कि विमुक्त जातियों को विमुक्त जाति के नाम से आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं है, अपितु जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है कि विमुक्त जातियों की सूची में अंकित वह जातियों, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित है, उन्हें उक्त जाति को अनुमन्य आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।
9. मेरिट सूची घोषित हो जाने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी की श्रेणी के सत्यापन अथवा प्रमाण–पत्रों में यदि भिन्नता पायी जाती है तो

   (क) प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी श्रेणी (SC/ST/OBC/EWS) अथवा उपश्रेणी (PwD/FF/Ex-Army) का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी का प्रवेश हेतु आवंटन निरस्त करते हुए Rejected अंकित किया जायेगा।

(ख) प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश के समय अभ्यर्थी 10वीं/12वीं का मूल एवं वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा एवं वह किसी भी काउंसिलिंग में प्रतिभाग नही कर पायेगा।

अतः आवेदन के समय सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरें।

10. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का प्रमाण पत्र पिता के आधार पर मान्य होगा, पति के आधार पर बना प्रमाण पत्र मान्य नही होगा।

अध्याय–4

पंजीकरण प्रक्रिया

ऑनलाईन आवेदन कैसे करें (How to Apply online)

1. अभ्यर्थी दिये गये निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें।

(i) आवेदन पत्र भरने से पहले सूचना विवरणिका (Prospectus) को Download करके भली भाँति पढ़ कर समझ लें।

(ii) ऑनलाईन फार्म भरने से पहले अभ्यर्थी के पास अपना एक **वैध मोबाइल नं0** एवं **ई–मेल आईडी** होना आवश्यक है। फार्म भरने के दौरान ओटीपी (OTP) एवं रजिस्ट्रेशन विवरण इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आईडी पर भेजा जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नं0 को काउंसिलिंग/प्रवेश प्रक्रिया के पूरा होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। काउंसिलिंग से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं इसी मोबाइल नं0/ ई–मेल आईडी पर भेजी जायेगी।

(iii) आवेदन पत्र भरने से पहले अभ्यर्थी निम्नलिखित विवरण अपने पास रखना सुनिश्चित करें–

(अ) 10वीं का प्रमाण–पत्र एवं 12वीं का प्रमाण–पत्र (अध्याय–2 में वर्णित पाठ्यक्रमवार अर्हताओं सहित)।

(ब) यदि अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), दिव्यांगजन (Person with Disability-PwD), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों (Freedom Fighter-FF) अथवा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Army) श्रेणी (दिये हुए प्रमाण पत्र के अनुसार) के हैं, तो सम्बंधित वैध प्रमाण पत्र अपने पास रखना सुनिश्चित करें।

(iv) अभ्यर्थी अपना नवीनतम रंगीन फोटो (50KB-100KB), हस्ताक्षर (50KB-80KB) जेपीजी/जेपीईजी (JPG/JPEG) फार्मेट में और उक्त सभी प्रमाण पत्र (100KB-1MB) जेपीजी/जेपीईजी/पीडीएफ (JPG/JPEG/PDF) फार्मेट में स्कैन करके पेन ड्राइव अथवा कम्प्यूटर में सुरक्षित रख ले।

(v) फोटो दिनांक 01 मार्च, 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए तथा फोटो पर अभ्यर्थी का नाम (Name) एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए।

जैसे–

नोट–

1. अभ्यर्थी आवेदन करने हेतु केवल वैध (Valid) मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आईडी का उपयोग करें, और मोबाइल को हमेशा सक्रिय रखें। गलत मोबाइल नं0 अथवा गलत ई–मेल आईडी के होने के कारण यदि अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं प्राप्त होती है तो इसके लिये उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

2. **अभ्यर्थी अपना सभी विवरण सही–सही भरें। सबमिट करने के उपरान्त अभ्यर्थी विवरण में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं।**

आवेदन हेतु अन्य निर्देश

(क) - श्रेणी / उपश्रेणी (Category / Sub-Category) का चयनः

(i) अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (CATEGORY) को चुनें। जैसे कि UR/EWS/OBC/SC/ST

(ii) अभ्यर्थी अपनी उपश्रेणी (SUB-CATEGORY) को चुनें। जैसे कि PwD/FF/ Ex-Army

(ख) - फोटोग्राफ के सम्बंध मेंः

(i) अभ्यर्थी अपनी फोटो, जेपीजी / जेपीईजी (JPG/JPEG) फार्मेट में स्कैन करें।

(ii) फोटो 01 मार्च, 2026 से पहले की न हो तथा फोटो पर अभ्यर्थी का नाम एवं फोटो दिनांक अंकित होना चाहिए।

(iii) आवेदन–पत्र के लिए रंगीन फोटोग्राफ खिंचवाते समय एक स्लेट पर अपना नाम तथा फोटो खिचवाने वाले दिन की तारीख लिखकर अपने सीने के पास अवश्य रखें ताकि वह फोटो में सीने के पास स्पष्ट रूप से अवश्य आये, ध्यान रहे नाम एवं तारीख कम्प्यूटर से कंपोज किया गया न हो।

(iv) फोटो खिचवाते समय कैप अथवा चश्मा न पहने।

(v) फोटो की 10 प्रतियां बनवाकर रखें जो काउंसिलिंग एवं प्रवेश सम्बन्धी अन्य आवश्कताओं में प्रयोग की जायेगी।

(ग) - हस्ताक्षर के संबंध मेंः

अभ्यर्थी एक सफेद पेज पर काले रंग के बाल प्वांट पेन से अपना हस्ताक्षर कर उसको जेपीजी / जेपीईजी (JPG/JPEG) फार्मेट में स्कैन करे। जेपीजी / जेपीईजी (JPG/JPEG) हस्ताक्षर की साइज 80KB से अधिक न हो।

(घ) अन्यः

(i) यदि अभ्यर्थी से आवेदन करते समय कोई त्रुटि हुई है तो वह निर्धारित तिथियों फॉर्म संशोधन विण्डो के दौरान ही संशोधन कर सकता है। उसके बाद कोई भी संशोधन नही किया जा सकता है।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं करते है तथा प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होकर सफल भी हो जाते हैं तो भी उन्हें निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और न ही उनके द्वारा जमा शुल्क की वापसी की जायेगी। अभ्यर्थी की अर्हता पूरी न होने की दशा में शुल्क वापसी हेतु / प्रवेश वापसी हेतु कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

ऑनलाईन आवेदन करने की क्रमवार विधि

ऑनलाईन आवेदन करने हेतु वेबसाइट https://upsmfac.org पर जाये। **"Apply Here for CAHSP 2026-27"** पर क्लिक करें।

Step 1: New Registration

Step 2: Login (Filling information, Qualification Details, Upload Documents)

Step 3: Application Fee Payment

Step 4: Print Application Form

Step 1: New Registration

(i) सर्वप्रथम New Registration पर क्लिक करे। इसके बाद अगले पेज पर अपने सभी विवरण (10वीं के प्रमाण–पत्र के अनुसार अपना नाम, जन्मतिथि, इत्यादि) सावधानी पूर्वक भरें तथा अपना मोबाइल नं0 एवं ई–मेल आईडी भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।

(ii) Submit बटन पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नं0/ई–मेल आईडी पर एक ओटीपी (OTP) जायेगा।

(iii) मोबाइल नं0 वेरीफाई करने के बाद लॉगिन विवरण (Registration No./User ID and Password) आपके पंजीकृत मोबाइल एवं ई–मेल पर जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी अपना लॉगिन विवरण सुरक्षित रखे तथा अन्य के साथ साझा न करें।

Step 2: Login (Filling information, Qualification Details and Document Upload)

(i) New Registration की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी को आवेदन करने हेतु Login करना होगा।

(ii) अभ्यर्थी अपना User-Id एवं Password भर कर Login करें।

(iii) Login करने के बाद व्यक्तिगत विवरण (Personal Information) भरने के उपरान्त Save & Next पर क्लिक करें, तत्पश्चात् शैक्षिणिक विवरण (Education Information) भरते समय 10वीं के कुल प्राप्तांको/पूर्णांकों एवं 12वीं के विषयवार प्राप्तांको/पूर्णांकों को जिस बोर्ड यथा–UP Board/CBSE/ICSE/Other Board का चयन करते हुये Save & Next पर क्लिक करें।

(iv) अगले पेज पर डाक्यूमेंट अपलोड का फार्म खुल जायेगा। इस पेज पर अभ्यर्थी अपना फोटो (50KB-100KB), हस्ताक्षर (50KB-80KB) की जेपीजी/जेपीईजी (JPG/JPEG) फॉरमेट में तथा 10वीं का प्रमाण पत्र, 12वीं का प्रमाण पत्र, पत्र/अन्य प्रमाण पत्र (100KB-1MB) (यदि लागू है तो), की जेपीजी/जेपीईजी/पीडीएफ (JPG/JPEG/PDF) फॉरमेट में स्कैन कॉपी अपलोड करें एवं Upload & Next पर क्लिक करें।

(v) विवरण भर जाने के बाद आपके आवेदन का विवरण प्रदर्शित हो जायेगा। अपने सभी विवरण को सावधानी पूर्वक पढ़ ले। यदि कोई विसंगति है तो तुरन्त सुधार कर सकते हैं अन्यथा Fee Payment के पश्चात आप अपने विवरण में सुधार नहीं कर सकते है।

Step 3: Application Fee Payment

(i) उपरोक्त स्टेप 2 पूरा करने के बाद शुल्क जमा करने के लिये Fee Payment पर क्लिक करें।

(ii) केवल ऑनलाईन माध्यम द्वारा पेमेन्ट पोर्टल पर उपलब्ध विकल्पों यथा–DEBIT CARD/CREDIT CARD/INTERNET BANKING/UPI इत्यादि द्वारा ही फीस जमा कर सकते है।

Step 4: Print Application Form

फीस जमा करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिन्ट (Print) ले सकते है। आवेदन पत्र की 2 या अधिक प्रतियां निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लें।

अध्याय–5

मेरिट लिस्ट प्रकिया

अभिलेखों का सत्यापन

अभ्यर्थियों द्वारा इस हेतु निम्नाकिंत अभिलेख अपलोड किये जायेगें–

1. हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र
2. इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र
3. आरक्षण से संबधित प्रमाण पत्र (OBC, SC, ST, EWS & PwD, FF, Ex-Army)
4. डोमिसाईल सर्टिफिकेट

1. Conversion of CGPA Score into percentage score

In instances where student performance is captured as a Cumulative Grade Point Average (CGPA) score. The CGPA score needs to be converted into a percentage using with Circular number 24 dated 28 May 2010 issued by CBSE. An indicative equivalence of CGPA in percentage is calculated by the following formula and shall be adopted for candidates appearing from any of the 4 categories of boards.

Overall indicative Percentage of marks= 9.5 X CGPA (appearing in the final marksheet)

2. PROCESS FOR COMPILATION OF MERIT SCORES (Normalisation procedure based on Percentile Score)

2.1. "Normalisation Procedure" will be used for ensuring that candidates are neither benefited nor disadvantaged due to the difficulty of the examination conducted under different study boards (UP Board/CBSE/ISC/Other Boards) across different years. With the objective of ensuring that a candidate's true merit is identified and that a level playing field is created in the above context, the Normalisation Procedure set out below shall be adopted for compiling the merit scores of students passing from different boards.

2.2. A normalised percentile score (instead of the raw marks of the candidate) shall be used for the preparation of the merit lists. The Percentile Scores will be calculated up to 10 decimal places to avoid the bunching effect and reduce ties. Normalised score will be calculated for only those candidates who have paid the registration fee and have their documents verified.

3. Percentile Calculation of candidates (payment received and documents verified)

3.1 Study boards will be divided into 4 categories: UP Board/CBSE/ISC/Other Boards

3.2 Absolute percentage based on total marks obtained out of the maximum marks possible will be calculated for every candidate in each of the 4 categories of study boards

3.3 The average percentage marks for a particular board will be calculated by dividing the sum total of all percentage marks for all eligible candidates in a particular board by the total number of candidates from that particular board who are eligible (payment received and documents verified) for normalised score calculation. This will be done for all 4 categories of study boards (UP Board/CBSE/ISC/Other Boards)

3.4 The average percentage marks for UP Board will be considered as base and the normalised factor for each board will be calculated by dividing the average percentage marks for that particular board by the average percentage marks of UP Board

3.5 A normalised percentile will be calculated for every candidate by dividing the absolute percentage obtained by the candidate by the normalised factor for the candidate's study board. This process will be carried out for class 10+2 (best 5 Subjects).

3.6 A common merit list will be prepared by calculating the normalised percentile score for marks obtained in class 10+2 (best 5 Subjects) for every candidate

4. In case of normalised percentile score tied between two or more candidates

If more than one candidate has the same marks in the common merit list, the inter-se-merit among such candidates shall be determined based on the following criteria:

a) If scores match after this exercise, the older candidate (based on the date of birth) will be given preference.
b) In case the candidates are of the same age, preference will be given to the candidate based on the occurrence of English alphabets in name

अध्याय–6

काउंसिलिंग प्रक्रिया

(1) कुल तीन चक्रो (प्रथम/द्वितीय/तृतीय) में ऑनलाईन काउंसिलिंग सम्पन्न की जायेगी। प्रथम चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी द्वितीय/तृतीय तथा द्वितीय चक्र से प्रवेशित अभ्यर्थी तृतीय चक्र में अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) हेतु आवेदन कर सकता है।

(2) यदि तृतीय चक्र के उपरान्त सीटें रिक्त रहती हैं, ऐसी दशा में विशेष काउंसिलिंग (Stray Round) भी की जा सकती है, जिसके सम्बंध में पृथक से दिशा–निर्देश जारी किये जायेगें।

(3) ऑनलाईन काउंसिलिंग के समय पंजीकृत मोबाइन नं0, ई–मेल आईडी को अभ्यर्थी अपने पास तैयार रखें।

Step 1: ऑनलाईन काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन (Registration for Online Counselling)

(i) प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग चक्र के अतिरिक्त, प्रत्येक ऑनलाईन काउंसिलिंग चक्र में सहभाग हेतु अभ्यर्थी को अलग अलग पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

(ii) ऑनलाईन काउंसिलिंग के पंजीकरण हेतु Registration for Counselling के लिंक को क्लिक करें।

(iii) अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग के पंजीकरण के लिए अपने लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड का इस्तेमाल कर लॉगिन (Login) करें।

(iv) प्रथम चक्र की ऑनलाईन काउंसिलिंग के अतिरिक्त, अन्य चक्रों में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को प्रति चक्र रू–500/– (Non- Refundable) काउंसिलिंग शुल्क ऑनलाईन जमा करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे का ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(v) काउंसिलिंग शुल्क जमा करने के उपरान्त ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।

Step 2: सिक्योरिटी फीस जमा करना (Security Fees Deposit)

(i) अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक सिक्योरिटी फीस (रू0 5000.00) ऑनलाईन जमा करनी होगी। अभ्यर्थी द्वारा पेमेंट गेटवे का ट्रान्जेक्शन चार्ज अतिरिक्त देय होगा।

(ii) सिक्योरिटी फीस जमा करने की रसीद डाउनलोड कर उसका प्रिन्ट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखे।

(iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा सिक्योरिटी फीस जमा नही की जायेगी, वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नही होंगे।

(iv) समस्त चक्रों की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नही होती है तो ऐसी दशा में उसकी सिक्योरिटी फीस नियमानुसार वापस की जायेगी।

(v) जिन अभ्यर्थियों द्वारा सीट आवंटन के पश्चात आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश नहीं लिया जाता है, इस दशा में उनकी जमा की गई सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अग्रिम चक्रों में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी।

Step 3: ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग (Online Choice Filling)

(i) जिन अभ्यर्थियों का पंजीकरण तथा सिक्योरिटी फीस जमा निर्धारित तिथि तक हो गया है, ऐसे अभ्यर्थी Online Choice Filling पर क्लिक करे। अगले पेज पर अपना लॉगिन आई0डी0 एवं पासवर्ड अंकित कर लॉगिन करें।

(ii) अगले पृष्ठ पर आपके आवेदन का पूरा विवरण खुल जायेगा। उस विवरण को मिलाने के बाद Choice Filling बटन पर क्लिक करें।

(iii) अगले पृष्ठ पर च्वाइस फिल करने का फार्म खुल जायेगा। अभ्यर्थी अपनी योग्यता और शैक्षिक अर्हता के अनुसार वरीयता क्रम में उपलब्ध सभी विकल्पों के आधार पर प्रशिक्षण केन्द्र और प्रशिक्षण का चुनाव करने हेतु स्वतंत्र है। अभ्यर्थी उसी प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण का चयन करे, जिसमें वह प्रवेश लेने का इच्छुक हो। अभ्यर्थी द्वारा जिस क्रम में प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण का चयन किया होगा, उसी क्रम के अनुसार अभ्यर्थी को सीट का आवंटन किया जायेगा। च्वाइस भरते समय अभ्यर्थी को क्रम का विशेष ध्यान रखना होगा।

(iv) च्वाइस फिलिंग करने के बाद Save बटन पर क्लिक करें। जिसके उपरान्त च्वाइस सेव हो जायेगी। अन्तिम निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा सेव की गयी च्वाइसेस में संसोधन किया जा सकता है। संशोधन के उपरान्त च्वाइस को सेव करना होगा। च्वाइस फिलिंग करने की अन्तिम तिथि के पश्चात सेव की गयी च्वाइसेस में संसोधन नही किया जा सकता है।

(v) अभ्यर्थी ऑनलाईन च्वाइस फिलिंग के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रशिक्षण का चुनाव करने से पहले विवरण पुस्तिका (Prospectus) में अर्हता संबंधी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी केवल उन्हीं प्रशिक्षणों का चुनाव करें जिसमें प्रवेश हेतु पात्रता पूर्ण करते हो। अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि तक च्वाइस फिलिंग करनी होगी।

Step 4: सीट आवंटन एवं परिणाम घोषित (Seat allocation and Result declaration)

(i) अभ्यर्थी द्वारा चयनित विकल्पों के क्रम से ही उसके रैंक के अनुसार उपलब्ध सीट का आवंटन किया जायेगा।

(ii) अभ्यर्थी के मेरिट एवं च्वाइस के अनुसार आवंटित सीटों का परिणाम निर्धारित तिथि में घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन काउंसिलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर आवंटित सीट की निर्धारित पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- में जमा सिक्योरिटी फीस (Security Fees) Rs 5,000/- घटाकर अवशेष Rs. 19,000/- आनलाईन माध्यम से जमा करने के पश्चात अपना अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) को डाउनलोड कर सकता है।

(ii) पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- के अतिरिक्त, शासन/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्य मदो की फीस अभ्यर्थी को संबधित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा।

Step 5: प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश/रिर्पोटिंग एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन (Reporting)

(i) काउंसिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी अगले चक्र की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः सिक्योरिटी फीस जमा करने के पश्चात ही अर्ह होगें।

(ii) ऑनलाईन काउंसिलिंग के द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों को सम्बंधित प्रशिक्षण केन्द्र में पहुंच कर प्रवेश एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।

(iii) अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज (पृष्ठ सं0 16 के अनुसार), अस्थायी आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter) एवं डिपोजिट सिक्योरिटी फीस की रसीद (Security Fee Receipt) के साथ सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित तिथि तक रिपोर्ट करें।

(iv) सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया के समय अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच कर ही प्रवेश की पुष्टि की जायेगी। सूचना विवरणिका (Prospectus) में अंकित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप न होने की दशा में किसी भी स्तर पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का ही होगा।

(v) प्रथम काउंसिलिंग में सीट आंवटित होने के बाद अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त ही अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) को लेने के लिए विकल्प भरना सम्भव होगा।

अपग्रेडेशन (स्थानान्तरण) की प्रक्रिया

1. अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीट की च्वाइस को छोड़कर अपग्रेड हेतु च्वाइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण केन्द्र/प्रशिक्षण में प्रवेशित था उसी प्रशिक्षण केन्द्र/प्रशिक्षण में प्रवेशित रहेगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और उसे सीट आवंटित हो जाती है तो पूर्व में प्रवेशित सीट पर उसका अभ्यर्थन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं उस पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
3. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन उपरान्त आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना होगा और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेड हुये सीट एवं पूर्व में प्रवेशित सीट दोनो पर अभ्यर्थन निरस्त हो जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अपग्रेड हुये सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं उनका अपग्रेडेशन से पूर्व तथा अपग्रेड हुये (दोनों ही) सीटों पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
4. अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के पश्चात् पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र से निर्धारित पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- के अतिरिक्त जमा की गयी अन्य मदों की फीस (यदि वापसी हेतु मान्य हो) एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वंय सम्पर्क करना होगा।

द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया था।
2. द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग किया, परन्तु उनकों कोई सीट आवंटित नहीं हुयी थी। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
3. द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया है। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुये प्रतिभाग करना होगा।
4. द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में सीट आवंटित होने के पश्चात् आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की थी/रिपोर्टिंग नहीं की थी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं।
5. द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्बधित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कोई प्रपत्र निरस्त कर दिया था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा दूसरे चक्र की काउंसिलिंग से पूर्व सही करा लिया हो। ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। लेकिन 12वीं के दर्ज प्राप्तांको (best 5 Subjects) में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नही होगा क्योंकि जिसके आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जा चुकी है।

तृतीय ऑनलाईन काउंसिलिंग हेतु पात्र अभ्यर्थी

1. तृतीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने पूर्व के ऑनलाईन काउंसिलिंग चक्रों में प्रतिभाग नहीं किया था।
2. तृतीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते है, जिन्होंने प्रथम/द्वितीय अथवा दोनो ऑनलाईन काउंसिलिंग में प्रतिभाग किया, परन्तु उनकों कोई सीट आवंटित नहीं हुयी थी। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करने की आवश्यकता नही होगी।
3. तृतीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पूर्व के चक्रों में आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपग्रेडेशन हेतु आवेदन किया हो। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करते हुये प्रतिभाग करना होगा।
4. तृतीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने पूर्व के ऑनलाईन काउंसिलिंग चक्रो में सीट आवंटित होने के पश्चात् आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं की

थी / रिपोर्टिंग नहीं की थी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं।

5. तृतीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका प्रथम / द्वितीय ऑनलाईन काउंसिलिंग में सम्बधित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कोई प्रपत्र निरस्त कर दिया था परन्तु अभ्यर्थी द्वारा तृतीय चक्र की काउंसिलिंग से पूर्व सही करा लिया हो ऐसे अभ्यर्थी पुनः रजिस्ट्रेशन एवं सिक्योरिटी फीस जमा करते हुए प्रतिभाग कर सकते हैं। लेकिन 12वीं के प्राप्तांको (best 5 Subjects) में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार्य नही होगा क्योकि जिसके आधार पर योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जा चुकी है।

6. आरक्षित श्रेणी की सीटों का आमेलन तृतीय चक्र के काउंसिलिंग के दौरान किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटन के उपरांत आरक्षित श्रेणी की यदि कोई सीट रिक्त रह जाती है तो रिक्त सीटों को निम्नांकित तालिका के अनुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी–

Sr. No.	Conversion Category	Category Converted to
1	ST (PwD, FF, Ex-Army)	ST
2	SC (PwD, FF, Ex-Army)	SC
3	UR (PwD, FF, Ex-Army)	UR
4	OBC (PwD, FF, Ex-Army)	OBC
5	EWS (PwD, FF, Ex-Army)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR

काउंसिलिंग हेतु अपात्र अभ्यर्थी

ऐसे अभ्यर्थी किसी भी अग्रिम ऑनलाईन काउंसिलिंग में भाग नहीं ले सकते है, जिनके डाक्यूमेन्ट पूर्व के ऑनलाईन काउंसिलिंग चक्र में फर्जी पाये गये।

त्याग–पत्र

1. प्रथम / द्वितीय चक्र के प्रवेशित अभ्यर्थी यदि प्रवेशित सीट छोडने हेतु इच्छुक है तो ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र पूर्ण होने के पश्चात एवं तृतीय चक्र के रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ होने से पूर्व निर्धारित तिथियों मे व्यक्तिगत रूप से प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र में त्याग–पत्र (पृष्ठ सं0 25 के अनुसार) को जमा कराना होगा।
2. प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा पोर्टल पर अंकित त्याग–पत्र ही मान्य होगा।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई त्याग–पत्र मान्य नही होगा।

फीस व्यपगत / जब्त (Forfeit) / वापसी करने के सम्बन्ध में विवरण

1. यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और वह सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो इस दशा में सिक्योरिटी फीस (Security Fee) रू0 5000.00 वापस नहीं की जायेगी।
2. यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित होती है और अभ्यर्थी रू0 19000.00 जमा करने के पश्चात भी सम्बन्धित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है तो इस दशा में सिक्योरिटी फीस (Security Fee) रू0 5000.00 जब्त करते हुये रू0 19000.00 वापस की जायेगी।
3. यदि प्रवेशित अभ्यर्थी अपग्रेडेशन हेतु आवेदन करता है और अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नही करता है, तो पूर्व में प्रवेशित सीट के सापेक्ष जमा की गयी सिक्योरिटी फीस रू0 5000.00 वापस नहीं की जायेगी।
4. तृतीय चक्र में अपग्रेडेड अभ्यर्थी द्वारा अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश प्रकिया पूर्ण नही की जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शिक्षण शुल्क (रू0 5000.00 + रू0 19000.00) वापस नहीं किया जायेगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिनका त्याग–पत्र पोर्टल पर अंकित हुआ हो उनकी Security Fee (रू0 5000.00) को जब्त करते हुये, रू0 19000.00 में से 10% की कटौती कर नियमानुसार अभ्यर्थी को काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात वापस किया जायेगा। त्याग–पत्र की निर्धारित तिथियों के पश्चात यदि कोई अभ्यर्थी कोर्स छोडता है तो कोई शिक्षण शुल्क वापस नही किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी को प्रवेशित प्रशिक्षण केन्द्र से अन्य मदों की फीस (यदि वापसी हेतु मान्य हो) एवं दस्तावेज वापसी हेतु स्वंय सम्पर्क करना होगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में जमा किया गया किसी भी प्रकार का भुगतान, यदि रिफंड हेतु मान्य हो तो, जिस खाते (माध्यम) से भुगतान किया गया हो उसी खाते (माध्यम) में रिफंड किया जायेगा। यदि भुगतान किये गये खाते (माध्यम) में किसी कारण से व्यवधान उत्पन्न होता है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दर्ज कराये गए बैंक खाते में नियमानुसार ट्रांसफर किया जायेगा।

अध्याय–7

प्रवेश प्रक्रिया

सीट आवंटन के उपरान्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश/रिपोर्टिंग के समय उपलब्ध कराने हेतु प्रमाणपत्र

ऑनलाईन काउंसिलिंग में जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की गयी है, ऐसे अभ्यर्थी अपने सभी मूल दस्तावेज एवं उसकी दो छायाप्रति के साथ आंवटित प्रशिक्षण केन्द्र में निर्धारित तिथि में रिपोर्ट करें। अभ्यर्थियों को आवंटित प्रशिक्षण केन्द्र पर पहुंच कर प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा एवं प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। दस्तावेजों की सूची निम्नवत है–

क. सं.	प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र
1.	ऑनलाइन आवेदन फार्म (Online Application Form)
2.	आवंटन पत्र (Provisional Allotment Letter)
3.	हाई स्कूल का अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र (मूल रूप में)
4.	इण्टरमीडियट का अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र (मूल रूप में) (अध्याय–2 में वर्णित पाठ्यक्रमवार अर्हताओं सहित)
5.	जाति प्रमाण पत्र (केवल OBC, SC एवं ST अभ्यर्थियों के लिए) (यदि लागू हो) (मूल रूप में)
6.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) (मूल रूप में)
7.	अन्य उपश्रेणी प्रमाण पत्र (PH, FF एवं Ex-Army अभ्यर्थियों के लिए) (यदि लागू हो) (मूल रूप में)
8.	आधार कार्ड (मूल रूप में)
9.	अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र
10.	**10/- के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा–पत्र देना होगा**– ''मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि मेरे प्रशिक्षण केन्द्र के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय–समय पर पारित किये जायेंगे उनका मैं सम्मानपूर्वक पालन करुंगा/करुंगी तथा अच्छा आचरण बनायें रखकर कोई भी ऐसा कार्य नही करुंगा/करुंगी अथवा किसी ऐसे क्रियाकलाप में भाग नही लूंगा/लूंगी जिससे प्रशिक्षण के सुचारु रुप से संचालन में बाधा उत्पन्न हों अनुशासन हेतु जो भी कार्यवाही प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार की जायेगी, वह मुझे मान्य होगी।''

नोट– प्रवेश के समय मूल अभिलेख न होने या सत्यापन में अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। प्रवेश लेने के उपरान्त किसी भी प्रमाण पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई अभिलेख/प्रमाण पत्र/सूचना कूटरचित पायी जाती है तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।

अध्याय–8

सहायता केन्द्र

संयुक्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख प्रवेश प्रक्रिया 2026–27 हेतु उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट https://upsmfac.org पर उपलब्ध काउंसिलिंग पोर्टल के लिंक पर जाकर FAQ सेक्शन को ध्यान से पढे। FAQ से आपकी समस्या का समाधान न होने की दशा में:

- **पोर्टल से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित से सम्पर्क करें:–**
  Customer Care No.: +91-9819704782
  Timing: 09:00 AM to 06:00 PM (Working Days)

- **भुगतान से सम्बंधित समस्या के समाधान के लिये निम्नलिखित से सम्पर्क करें:–**
  Customer Care No.: +91-9819704782
  Timing: 09:00 AM to 06:00 PM (Working Days)

  ई–मेल:– pgsupport@billdesk.com

अनुलग्नक–I

प्रशिक्षणवार उपलब्ध सीटों की संख्या			
क्र.स.	प्रशिक्षण का नाम	शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों मे उपलब्ध सीटे	प्रशिक्षण की अवधि
1.	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY (D.AOTT)	710	2 Years 06 Months
2.	DIPLOMA OF RADIOTHERAPY TECHNOLOGY (D.RT)	90	2 Years 06 Months
3.	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY (D.DT)	135	2 Years 06 Months
4.	DIPLOMA OF HEALTH INFORMATION MANGEMENT (D.HIM)	70	2 Years 06 Months
5.	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY (DMLT)	1120	2 Years
6.	DIPLOMA IN PHARMACY (D.PHARMA)	300	2 Years

- उपरोक्त सभी प्रशिक्षणों का केवल पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- प्रतिवर्ष है।
- पठ्न–पाठन शुल्क (Tution Fee) Rs. 24,000/- के अतिरिक्त, शासन/प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा निर्धारित अन्य मदो की फीस अभ्यर्थी को संबधित प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के समय जमा करना होगा।

उपरोक्त प्रशिक्षणों अथवा सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

अनुलग्नक–II

प्रशिक्षण केन्द्रों व उपलब्ध सीटों सम्बंधी सूचना

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्बद्ध, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख डिप्लोमा प्रशिक्षण के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रवेश हेतु वर्तमान में सीटों के विवरण निम्नवत् है–

S. No.	CENTER NAME	COURSE NAME	SEATS
1	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AMETHI	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA OF HEALTH INFORMATION MANAGEMENT	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
2	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BAHRAICH	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
3	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FATEHPUR	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
4	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, FIROZABAD	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
5	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, HARDOI	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	20
6	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, JAUNPUR	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	40
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	10
7	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, PILIBHIT	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	5
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	20
8	AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, PRATAPGARH	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	20
9	B. R. D. MEDICAL COLLEGE, GORAKHPUR	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	60
		DIPLOMA OF RADIOTHERAPY TECHNOLOGY	10
10	DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF RADIOTHERAPY TECHNOLOGY	20
11	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE, KANPUR	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA OF HEALTH INFORMATION MANAGEMENT	30
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	60
12	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AMBEDKARNAGAR	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30

S. No.	CENTER NAME	COURSE NAME	SEATS
13	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, AZAMGARH	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	20
14	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, BADAUN	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
15	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, JALAUN	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
16	GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, KANNAUJ	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
17	HRIDAY ROG SANSTHAN, KANPUR	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
18	J.K. CANCER INSTITUTE, KANPUR	DIPLOMA OF RADIOTHERAPY TECHNOLOGY	30
19	KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY INSTITUTE OF PARAMEDICAL SCIENCES, LUCKNOW	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	60
		DIPLOMA OF RADIOTHERAPY TECHNOLOGY	30
20	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE, MEERUT	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	60
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
21	M. L. N. MEDICAL COLLEGE, ALLAHABAD	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	60
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
22	M.L.B. MEDICAL COLLEGE, JHANSI	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	60
23	MAA VINDHYAVASINI AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, MIRZAPUR	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	20
24	MADHAV PRASAD TRIPATHI MEDICAL COLLEGE, SIDDHARTHNAGAR	DIPLOMA OF HEALTH INFORMATION MANAGEMENT	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
25	MAHARANI LAXMIBAI RAJKIYA PARAMEDICAL TRAINING COLLEGE, JHANSI	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
26	MAHARSHI VASHISHTH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, BASTI	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	40
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
27	MAHARSHI VISHWAMITRA AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, GHAZIPUR	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	20
28	PARAMEDICAL SCHOOL, G.I.M.S., GAUTAM BUDDHA NAGAR	DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
29	PT. RAM PRASAD BISMIL PARAMEDICAL INSTITUTE, AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE SOCIETY, SHAHJAHANPUR	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30

S. No.	CENTER NAME	COURSE NAME	SEATS
30	RAJARSHI DASHRATH AUTONOMOUS STATE MEDICAL COLLEGE, AYODHYA	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
31	RANI DURGAVATI MEDICAL COLLEGE, BANDA	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
32	S. N. MEDICAL COLLEGE, AGRA	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30
		DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	60
33	SHAIKH-UL-HIND MAULANA MAHMOOD HASAN MEDICAL COLLEGE, SAHARANPUR	DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	30
34	U.P. UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, SAIFAI, ETAWAH	DIPLOMA OF DIALYSIS TECHNOLOGY	10
		DIPLOMA IN MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY	50
		DIPLOMA OF ANAESTHESIA AND OPERATION THEATRE TECHNOLOGY	30

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सम्ब़द्ध, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सहबद्ध डिप्लोमा इन फार्मेसी के शासकीय प्रशिक्षण केन्द्रों मे प्रवेश हेतु वर्तमान में सीटों के विवरण निम्नवत् है–

S. No.	CENTER NAME	COURSE NAME	SEATS
1	G.S.V.M. MEDICAL COLLEGE , KANPUR	DIPLOMA IN PHARMACY	75
2	L. L. R. M. MEDICAL COLLEGE , MEERUT	DIPLOMA IN PHARMACY	75
3	M. L. N. MEDICAL COLLEGE , ALLAHABAD	DIPLOMA IN PHARMACY	75
4	S. N. MEDICAL COLLEGE , AGRA	DIPLOMA IN PHARMACY	75

उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र, प्रशिक्षण अथवा सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
अभ्यर्थी वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

अनुलग्नक–III

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण–पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... निवासी ग्राम–......................................., तहसील–......................................, नगर–... जिला–.. उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री / श्रीमती / कुमारी (आश्रित)....................... .... पुत्र / पुत्री / पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री / श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी).............. .... के आश्रित हैं।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....

जिलाधिकारी
(सील)

अनुलग्नक–IV

सैनिक आश्रित प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व सैनिक नं0 ....
रैंक.......................... नाम ....
पुत्र श्री .... निवासी ....
.... जिला ....
का निवासी है। इन्होंने कोर/रेजीमेन्ट .... में
दिनांक .... से ....
तक सैन्य सेवा की है।

2. भूतपूर्व सैनिक का परिचय पत्र संख्या .... दिनांक ....
को जारी किया गया है।

3. उक्त भूतपूर्व सैनिक के निम्न आश्रित है:–

क्रम सं0	नाम	आयु (जन्मतिथि)	सम्बन्ध
1.	....	....	....
2.	....	....	....
3.	....	....	....
4.	....	....	....

पत्रांकः जि0सै0क0/प्रमाण पत्र/ /20

कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, जनपद ....

दिनांक..........................

जिला सैनिक कल्याण एवं
पुनर्वास अधिकारी
जनपद ....

अनुलग्नक–V

Domicile Certificate

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी..

उत्तर प्रदेश शासन

कार्यालय उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त सामान्य निवास प्रमाण पत्र

जिला खीरी
तहसील गोला गोकर्णनाथ जारी दिनांक: 27/06/2023
आवेदन क्र० [redacted]
प्रमाणपत्र क्र० [redacted]

सम्बन्धित लेखपाल की जांच आख्या दिनांक 26/06/2023 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि [redacted]

पुत्र/पुत्री [redacted]

माता का नाम

मकान नम्बर

मोहल्ला निवासी ग्राम व पो० छतौनिया पर०हैदराबाद ब्लाक कुम्भी गोला

ग्राम छतौनिया

थाना गोला

तहसील गोला गोकर्णनाथ

जिला खीरी

उत्तर प्रदेश का/की निवासी है व उसका वर्तमान पता मकान नम्बर ग्राम छतौनिया मोहल्ला निवासी ग्राम व पो० छतौनिया पर०हैदराबाद ब्लाक कुम्भी गोला तहसील गोला गोकर्णनाथ ,जनपद खीरी उत्तर प्रदेश है |
2.उपर्युक्त की पुष्टि प्रारूप - १ में आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

Valid

29

जारी कर्ता केन्द्र: ... न सेवा केंद्र
पद: [redacted]
स्थान :GOLA G... HERI,गोला
गोकर्णनाथ,गोला दे... ला गोकर्णनाथ
दिनाँक: 12/07/202...

Digitally Signed by
[redacted]
O=PERSONAL S=Uttar Pradesh

सक्षम अधिकारी/उप जिलाधिकारी
डिजिटल हस्ताक्षरित
गोला गोक...
दिनाँक: 2...

अनुलग्नक–VI

AFFIDAVIT FOR RESIGNATION

I ___________________S/O ______________________ currently residing at ________________ __________________________Aadhaar No. ________________hereby solemnly declare and affirm as follows:

1. That I was allotted a seat in ____ ___________________________ college for the _________________________________ course during the Combined Allied and Healthcare Selection Process 2026-27 Round ______ of the counselling process.
2. That I hereby voluntarily resign from the said seat and express my intention to give up all claims or entitlements to the seat allotted to me in seat in _____________________ _________________________ college for the _________________________________ course.
3. I confirm that I do not hold any right or claim to the seat mentioned above after my resignation, and I understand that the seat may be allotted to other eligible candidates as per the counselling rules.
4. I undertake that I shall not engage in any legal or administrative process to reclaim or object to the allotment of the said seat to any other candidate after my resignation.

DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent do hereby verify that the contents of para 1 to 4 are true and correct to my personal knowledge.

DEPONENT

Place: ……………….

Dated: ……………….

Note: The affidavit is to be typed on a non-judicial stamp paper of Rs 100/- which should be duly notarized by Notary Public. Affix recent passport size photo.